

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-17/2014-

/कृ०, पटना, दिनांक 2014

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री बिरेंद्र नाथ सवाई,
मेसर्स सुदर्शन केमिकल्स इन्डस्ट्रीज लि०,
द्वारा हरनाथका कारपोरेशन,
303 बी०, सुकृति कम्पलेक्स,
एस० पी० वर्मा रोड, पटना।

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 63-64 दिनांक 18.10.2012 के नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन कोषागार चालान एवं सहायक कृषि निदेशक, (पौधा संरक्षण), सर्वेलेन्स मुख्यालय, पटना द्वारा समर्पित स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत स्वनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों का उनके विनिर्माण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैधता तिथि के आलोक में कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 63-64 दिनांक 18.10.2012 को दिनांक 31.12.2015 तक के लिए नवीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कीटनाशी का नाम	क्र०सं०	कीटनाशी का नाम
1	Propiconazole 25% EC	6	Triazophos 40% EC
2	Lambdacyhalothrin 5% EC	7	Alphamethrin 10% EC
3	Chlorpyrifos 20% EC	8	Quinalphos 25% EC
4	Imidacloprid 17.8% SL	9	Phosphamidon 40% SL
5	Pretilachlor 50% EC		

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के निहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स सुदर्शन केमिकल्स इन्डस्ट्रीज लि०, द्वारा श्री विमल हरनाथका, H/O श्री अरविन्द कुमार यादव S/O श्री रामवृक्ष यादव, मुहल्ला- बड़ी पहाड़ी गाँव, थाना-अगमकुँआ, पटना-7

3- अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

4- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

5- अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

6- नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

7- अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/ बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

8- कीटनाशी अनुज्ञप्ति सं० 63-64 दिनांक 18.10.2012 मूल रूप में संलग्न है। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

4756

/कृ०, पटना, दिनांक 05-11-2014

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक कृषि निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



कृषि निदेशक, बिहार, पटना।